जांच

दागियों पर एफआईआर की तैयारी, जांच दल द्वारा जुटाए जा चुके है अहम साक्ष्य

स्वास्थ्य विभाग घोटाला : नए चेहरे रडार पर

नवभारत,जबलपुर। जिला स्वास्थ्य विभाग में सामने आए 4 करोड़ से अधिक की राशि के गबन मामले में अब प्रशासनिक कार्रवाई के बाद पुलिसिया शिकंजे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खबर है कि वित्तीय अनियमितता के इस बड़े प्रकरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा के निलंबन और भोपाल अटैचमेंट के बाद अब विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। जांच दल द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर यह बिल्कुल माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई नए चेहरे भी इस घोटाले की साजिश में शामिल पाए जा सकते हैं। जिनके खिलाफ भी एफआईआर की कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है।

कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल अब मामले की बारीकी से पड़ताल कर सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटा है। डॉ. संजय मिश्रा को भोपाल संभाग में मुख्यालय नियत किए जाने के बाद अब जबलपुर

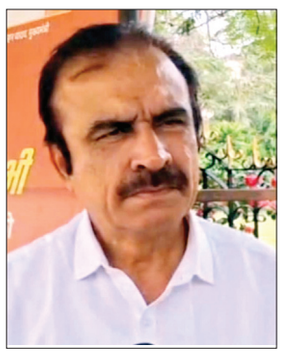

कार्यालय में नए सिरे से व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के इस संगठित ढांचे को ध्वस्त करने के लिए केवल

निलंबन पर्याप्त नहीं है। विभाग के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि जैसे ही जांच रिपोर्ट के अंतिम तथ्य सामने आएंगे, संबंधित थाना क्षेत्र में नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसमें फर्जी फर्म के मालिक, संबंधित भुगतान अधिकारी और रिकॉर्ड गायब करने वाले संदिग्धों को आरोपी बनाया जा सकता है। आने वाले सप्ताह में इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी और नए खुलासों की पूरी संभावना बनी हुई है।

तो क्या लगेंगी धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराएं ?

विदित हो कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद डॉ. संजय मिश्रा को उनके दोनों महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया गया है। वे प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सह क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर के रूप में कार्यरत थे। निलंबन की इस कार्रवाई को केवल प्रशासनिक सजा के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि विभाग अब इस मामले को पुलिस को सौंपने की तैयारी में है। जिस तरह से फर्जी बिलों के माध्यम से भोपाल की एक फर्म को 93 लाख 04 हजार 998 रुपए का भुगतान किया गया, वह सीधे तौर पर जालसाजी और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। प्रशासन अब दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए दस्तावेज तैयार कर रहा है।

जांच के रडार पर आए कई और संदिग्ध नाम

अब ये जाँच अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक कार्यालय और फार्मासिस्ट स्तर पर भी गहरी मिलीभगत के संकेत मिले हैं। वर्तमान में जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्य तिवारी और फार्मासिस्ट जवाहर लोधी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर को भेजा जा चुका है। इनके साथ ही स्टोर कीपर का दायित्व संभाल रहे फार्मासिस्ट नीरज कौरव को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह पहले ही निलंबित कर चुके हैं। जांच की सुई अब उन कर्मचारियों की ओर भी घूम रही है जिन्होंने फाइल को आगे बढ़ाने और फर्जी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने में मदद की।

जांच में सब कुछ हुआ साफ

प्रकरण की जांच में यह तथ्य पूरी तरह साफ हो चुका है कि स्वास्थ्य केंद्रों के लिए साइनेज और अन्य सामग्रियों के नाम पर केवल कागजों पर ही सामान की खरीदी दिखाई गई। भौतिक रूप से विभाग को कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फाइलों में फर्जी पावती लगाकर भुगतान कर दिया गया। डीपीएम कार्यालय द्वारा 1.33 करोड़ रुपए और नियमित सीएमएचओ कार्यालय द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपए के क्रय आदेश नियमों को ताक पर रखकर जारी किए गए। भोपाल की निजी फर्म सिंह इंटरप्राईजेज को किए गए इन भुगतानों में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं बरती गई।

आपराधिक प्रकरण में आरोपी बनाने गये सब रजिस्ट्रार को राहत

हाईकोर्ट ने अतिरिक्त अभियुक्त बनाने जाने के आदेश को किया निरस्त

जबलपुर। आपराधिक प्रकरण में आरोपी बनाने गये सब-रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सब-रजिस्ट्रार को अतिरिक्त अभियुक्त बनाये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता सब-रजिस्ट्रार होने के नाते दस्तावेज को पंजीकृत करने से मना भी नहीं कर सकता था। पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज आरोपियों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे।

याचिकाकर्ता आनंद कुमार पांडे की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि आरोपी संजीव श्रीवास्तव तथा यूसुफ अली राजा ने 20 मार्च 2018 को एक लीज डीड के जरिए एक ऐसे प्लॉट को बेच दिया, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। लीज डीड का पंजीयन इटारसी स्थित सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में सब-रजिस्ट्रार के पद

पर कार्यरत याचिकाकर्ता के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किया गया था। ट्रायल कोई के द्वारा धारा 319 का प्रयोग करते हुए 10 जनवरी 2025 को पारित अपने आदेश में याचिकाकर्ता को प्रकरण में अतिरिक्त आरोपी बनाते हुए समन जारी कर दिये। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विचाराधीन पट्टा विलेख में कथित तौर पर कुछ त्रुटियां थीं। सब-रजिस्ट्रार को उक्त दस्तावेज का पंजीकरण करने से पूर्व, उसमें सुधार हेतु उसे वापस लौटा देना चाहिए था। याचिका में कहा गया था कि पट्टा विलेख का पंजीकरण याचिकाकर्ता द्वारा अपने शासकीय कार्यों के सामान्य क्रम में ही किया गया था। सब-रजिस्ट्रार होने के नाते वह दस्तावेज को पंजीकृत करने से मना भी नहीं कर सकता था। दस्तावेज के निष्पादन का आदेश नगर परिषद के सीएमओं के द्वारा जारी आदेश के साथ आरआई ने उनके समक्ष प्रस्तुत किया था। जो पहले भी उसी योजना के तहत अन्य भूखंड धारकों के पट्टा विलेखों के निष्पादन और पंजीकरण के लिए उपस्थित होते रहे थे। दस्तावेज कानून के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, तो सब-रजिस्ट्रार उसे पंजीकृत करने के लिए बाध्य होता है। पंजीकरण अस्वीकार करने का कोई अवसर ही नहीं था। याचिका में कहा गया था कि नर्मदापुरम जिले के वरिष्ठ जिला रजिस्ट्रार द्वारा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र के माध्यम से इस बात की पुष्टि गयी है कि उक्त दस्तावेज का पंजीकरण नियमों और विनियमों का पालन करते हुए ही किया गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की गयी है। पंजीकरण के पूर्व प्रीमियम राशि का भुगतान भी कर दिया गया था। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

ढुलमुल विदेश नीति से भारत की साख खराब : विवेक

जबलपुर। वर्तमान दौर में अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध एक तीसरी महायुद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऊर्जा संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाहाकार मचा रखा है।तब विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला भारत अपनी भूमिका निभाती नजर नहीं आ रही है। ढुलमुल विदेश नीति से भारत की साख खराब हो रही है । यह बातें राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के संयोजक विवेक अवस्थी न कहीं। नेहरू युग और वर्तमान विदेश नीति पर जन चौपाल में उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत ने अपने कदम विश्व मंच पर रखे, तब हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी। ऐसे समय में नेहरू जी ने भारत को एक ऐसी विदेश नीति दी,

जो नैतिकता, शांति और सह-अस्तित्व पर आधारित थी। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से यह संदेश दिया कि भारत किसी भी शक्ति गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखेगा। यह केवल एक कूटनीतिक नीति नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा थी। आज अमेरिका भारत को टेरिफ और तेल खरीदने के मामले में खुलेआम धमका रहा है। इस दौरान मुख्य रूप से मदन तिवारी, राजकुमार सिन्हा, अंजना कुररिया सतीश तिवारी, महेश पसीने राजेश सोनकर, शिवकुमार चोबे, शिव चौधरी, बच्चा यादव कमला पटेल, शरद गोर, विवेक पवार भग्गू साहू, सरमन रजक सुधीर शर्मा प्रमोद पटेल, कमलेश यादव दुर्गा कुशवाह आशीष जैन दादू लाल कूड़ापे आदि उपस्थित रहे।

पत्नी ने सरेआम कहा था-मर जाओ या जहर खा लो, साथ नहीं रहूंगी

पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर पति ने की थी खुदकुशी

सुसाइड नोट और बिसरा रिपोर्ट के बाद पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जबलपुर । ग्वारीघाट थाना अंतर्गत छिवला में पत्नी द्वारा अपने पति को सरेआम मर जाने, साथ नहीं रहूंगी कहते हुए उकसाया था इसके बाद आहत पति ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी । मर्ग कायमी के बाद हुई जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट और सुसाइड नोट के मिलान के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ उकसाने की धारा के तहत

एफआईआर दर्ज कर ली है ।

पुलिस के मुताबिक 22 सितंबर 2025 की शाम ग्राम छिवला निवासी सचिन ठाकुर (35) को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया था। सचिन के भाई संदीप ठाकुर ने बताया था कि सचिन ने चूहा मार दवाई खा ली है। इलाज के दौरान उसी रात करीब 8:15 बजे सचिन की मौत हो गई थी। 23 सितंबर को अस्पताल से मिली सूचना पर ग्वारीघाट पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को मृतक के कमरे से एक स्टील का गिलास और जिंक फास्फाइड (चूहा मार जहर) का पैकेट बरामद हुआ। सबसे अहम सबूत के तौर पर पुलिस को सचिन के हाथ से लिखा हुआ और हस्ताक्षरित एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी मानसिक पीड़ा लिखी थी ।

बयानों से बदली जांच की दिशा

मृतक के माता-पिता और भाई के बयानों ने मामले की दिशा बदल दी। परिजनों ने बताया कि घटना से एक दिन पहले, 21 सितंबर को सचिन अपनी पत्नी अर्चना ठाकुर को लेने उसके मायके मुडिया, पनागर गया था। वहां सबके सामने अर्चना ने सचिन को दुत्कारते हुए कहा था तुम जहर खा लो या मर जाओ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और न ही छिवला जाऊंगी। पत्नी की इस कठोर बात से सचिन गहरा सदमा लगा था।

भोपाल में हुई थी सुसाइड नोट की जांच

मृतक का बिसरा जांच के लिए जबलपुर लैब भेजा गया। सुसाइड नोट की असलियत जानने के लिए इसे एसईक्यूडी भोपाल भेजा गया। वहां के विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि सुसाइड नोट में लिखावट मृतक सचिन ठाकुर की ही है। मर्ग जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि आरोपिया पत्नी अर्चना ठाकुर (25) के मानसिक उत्पीड़न और उकसाने के कारण ही सचिन ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। अर्चना ठाकुर के खिलाफ उकसाने का प्रकरण दर्ज किया गया ।

अपहरण कर ले जा रहे नाबालिग को जीआरपी ने पकड़ा

जबलपुर, नवभारत। खानपुर बिहार से नबालिका का अपहरण कर ले जा रहे नाबालिक को जीआरपी पुलिस ने जबलपुर स्टेशन में उतार लिया। शनिवार को जीआरपी को मिली सूचना के अनुसार समस्तीपुर बिहार निवासी एक नाबालिक लड़का जिसके खिलाफ़ बिहार में पहले से केस दर्ज है, वह नाबालिग लड़की का अपहरण कर ट्रेन क्रमांक 11402 से लेजा रहा है। जिसपर तत्परता दिखाते हुए जीआरपी पुलिस ने दोनों नाबालिको को जबलपुर स्टेशन में उतार कर परिवारजनो के हवाले कर दिया गया।

अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, दबे किशोर की मौत

महगवां रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत गौर चौकी स्थित महगवां रोड पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया जिसके नीचे 13 वर्षीय किशोर की दबकर मौत हो गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हिनौतिया निवासी बलराम लोधी (34) का भतीजा अतुल लोधी 13 वर्ष, ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 20 जेड एक्स 7123 पर सवार होकर महगवां रोड से अपने गांव हिनौतिया लौट रहा था। इस दौरान नाले की पुलिया के आगे अचानक ट्रैक्टर सड़क से नीचे उतर गया और असंतुलित होकर पलट गया। हादसा इतना अचानक था कि किशोर को संभलने का मौका नहीं मिला और वह ट्रैक्टर के भारी मलबे के नीचे दब गया। घायल अतुल को तुरंत मलबे से बाहर निकाला गया। उसे गंभीर चोटें आई थीं, जिसके चलते उसे तत्काल उपचार के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार को मृतक के चाचा बलराम लोधी की सूचना पर गौर चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। किशोर की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।

बीच सड़क पर भिड़ गईं सास-बहू और ननदें, जमकर चले लात-घूंसे

जबलपुर। लॉर्डगंज थाना अंतर्गत गंजीपुरा में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बाजार में खरीदारी करने आईं सास-बहू और ननद-भाभी के बीच टकराव हो गया । आठ साल से चल रहे पारिवारिक कोर्ट केस की रंजिश सड़क पर उतर आई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसों से हमला कर दिया। हाईवोल्टेज हंगामे के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंच गए जहां पुलिस ने काउंटर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिशा जाट निवासी बेलबाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे अपनी भाभी रेशमा के साथ दीदी गारमेंट्स में कपड़े खरीदने गई थी। वहां पहले से मौजूद उसकी सास भावना जाट, ननदें और शुभांशु जाट ने उसे देखते ही अभद्रता शुरू कर दी। चांदनी जाट ने दिशा के बाल खींचकर चेहरे पर थप्पड़ मारे। जब भाभी रेशमा ने बीच-बचाव कर वीडियो बनाना चाहा, तो ननदों ने मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इस झूमा-झपटी में दिशा का मंगलसूत्र भी टूट गया। इसी मामले में दूसरा पक्ष सास पक्ष जब शिकायत करने थाने जा रहा था, तब गंजीपुरा चौराहे पर दिशा की माँ राजश्री जाट मिल गईं। आरोप है कि वहां फिर से चांदनी और भावना जाट ने राजश्री के साथ मारपीट की। वहीं, सास भावना जाट का कहना है कि उनका बेटे के साथ 8 साल से तलाक का केस चल रहा है। जब वे अपने बेटे के साथ रह रही चांदनी और बेटियों के साथ शॉपिंग कर रही थीं, तब बहू दिशा ने जबरन वीडियो बनाना शुरू किया और अभद्रता कर दीं। थाने जाते वक्त दिशा और उसकी माँ ने उनके साथ मारपीट की ।

शातिर महिला चोर ने भीड़ में वृद्धा का मंगलसूत्र उड़ाया

जबलपुर। शहर के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बड़ी खेरमाई मंदिर में भीड़ का फायदा उठाकर एक शातिर महिला चोर ने दर्शन करने आई एक वृद्ध महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र पार कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बेलबाग के फूटाताल चौराहा निवासी 65 वर्षीय श्रीमती निर्मला चौरसिया अपनी बहू शिवानी के साथ बड़ी खेरमाई मंदिर दर्शन करने पहुंची थीं। जब वे मंदिर के बाहरी प्रांगण में पूजा के लिए खड़ी

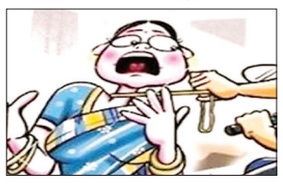

थीं, तब वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। निर्मला चौरसिया अपने गले में करीब 8 ग्राम वजनी सोने का मंगलसूत्र पहने हुए थीं। भीड़ के बीच उनके पीछे खड़ी किसी अज्ञात महिला ने बड़ी चालाकी से उनके गले से मंगलसूत्र निकालकर चोरी कर लिया। भीड़ अधिक होने के कारण पीड़िता को तत्काल वारदात का अहसास नहीं हो सका। काफी खोजबीन के बाद जब मंगलसूत्र नहीं मिला, तब उन्होंने थाने की शरण ली। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि संदिग्ध महिला की पहचान की जा सके।

विभिन्न ऑपरेशन चलाकर आरपीएफ ने हासिल किए मुकाम, बीते वित्तीय वर्ष में रेल सुरक्षा बल की उल्लेखनीय उपलब्धियां

जबलपुर, 04 अप्रैल। रेल सुरक्षा बल ने रेल संपत्ति एवं यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। रेल सुरक्षा बल द्वारा चौबीसों घंटे सतत् कार्य करते हुए सुरक्षित माल परिवहन के साथ-साथ रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं सहायता सुनिश्चित की गई।

कुछ प्रमुख उपलब्धियां

ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते

वर्ष 2025-26 में 720 बिछड़े घर से भागे अपहृत बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों चाइल्ड लाइन आदि को सुपुर्द किया गया।

ऑपरेशन अमानत

973 यात्रियों को उनका छूटा खोया सामान जिसकी अनुमानित कीमत 2,88,11,829 है, सुरक्षित वापस किया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत 33 यात्रियों व्यक्तियों का जीवन बचाया गया।

ऑपरेशन मेरी सहेली

महिला सुरक्षा के तहत प्रतिदिन औसतन 110 ट्रेनों में महिला आरपीएफ स्टाफ द्वारा महिला यात्रियों को सहायता प्रदान की गई। वही रेल अधिनियम के तहत 53,566 व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जिससे 3,81,97,940 जुर्माना वसूला गया।

ऑपरेशन उपलब्ध

ई-रेल टिकटों की अवैध बिक्री करने वालों पर 58 प्रकरण दर्ज कर 64 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 52,24,175 मूल्य के 3,361 ई-टिकट जब्त किए गए। वही 18,166 अनाधिकृत वेंडरों पर कार्रवाई कर 2,20,27,060 जुर्माना वसूला गया और 328 प्रकरणों में 635 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 23,09,471 मूल्य की रेल संपत्ति बरामद की गई। यात्री सामान चोरी में 308 आरोपियों को पकड़कर 283 प्रकरणों का खुलासा किया गया। और अवैध आर्म्स के साथ 31 व्यक्तियों को पकड़कर जीआरपी पुलिस को सुपुर्द किया गया।

व्यवसायी के खाते से उड़े 1 लाख

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत न्यू रामनगर निवासी एक व्यवसायी के बैंक खाते से शातिर ठग ने पलक झपकते ही एक लाख रुपये पार कर दिए। जबकि पीड़ित किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप का इस्तेमाल नहीं करता था, फिर भी उसके खाते में सेंध लग गई। शनिवार को पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक न्यू रामनगर, सुराही बिल्डिंग के पास रहने वाले 42 वर्षीय व्यवसायी एकांश जायसवाल का बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शाखा मनु मार्केट) में बचत खाता है, जो उनके लोन अकाउंट से लिंक है। एकांश ने सुरक्षा के लिहाज से अपने मोबाइल में किसी भी प्रकार के ऑनलाइन पेमेंट या यूपीआई एप का उपयोग नहीं करते हैं। दोपहर करीब 3:57 बजे एकांश के मोबाइल पर अचानक मैसेज आए। जब उन्होंने चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहला ट्रांजेक्शन में 99,000 रुपये यूपीआई के जरिए रोहित कुमार शॉ नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हुए। दूसरा ट्रांजेक्शन इसके ठीक कुछ सेकंड बाद ही 1,000 रुपये फिर उसी नाम पर ट्रांसफर हो गए। महज कुछ ही पलों में कुल 1 लाख रुपये की राशि धोखाधड़ी कर निकाल ली गई। पुलिस ने शनिवार को रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उस बैंक खाते और मोबाइल नंबर की डिटेल खंगाल रही है, जिसके जरिए यह राशि ट्रांसफर की गई है।

चुनौती

प्लांट न ले जाकर शास्त्री ब्रिज के नीचे किया जा रहा कचरा डंप

अधिकारी के फरमान को चुनौती दे रहा सफाई अमला

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम के सफाई अमले द्वारा खुद निगम प्रशासन के अधिकारियों को चुनौती देते हुए शास्त्री ब्रिज के नीचे कचरा डंप करने का काम बेखौफ किया जा रहा है। नवभारत के कैमरे में अराजकता की एक ताजी तस्वीर कैद हुई जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि नगर निगम के सफाई अमले द्वारा कचरा प्लांट कचरा न ले जाकर शास्त्री ब्रिज के नीचे डंप किया जा रहा । ये कचरा जहां एक ओर क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों को खुला निमंत्रण दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जवाबदारों की जिम्मेदारी की पोल भी खोल रहा है।

विदित हो कि कुछ दिनों पहले

स्वच्छता अधिकारी अंकिता बर्मन ने नगर निगम के सफाई अमले को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शास्त्री ब्रिज के नीचे कोई कचरा डंप नहीं करेगा और जो वहां कचरा मौजूद है उसे हटाकर मैदान साफ किया जाएगा जिससे स्थानीयजनों को कोई परेशानी न हो।

लेकिन इस निर्देश का इन दिनों निगम का सफाई अमला खुद ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। जबकि शहर के सारे कचरे को कचरा प्लांट में ले जाने का दावा निगमायुक्त, महापौर द्वारा किया जा चुका है। ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन मनमर्जी वाले सफाई अमले पर लगाम कौन लगाएगा...

कचरे के ढेर में लगाई जाती है आग

जानकारी के अनुसार आए दिन देखा जा रहा है कि कचरा बीनने वाले शास्त्री ब्रिज के नीचे मैदान में कचरा बीनने आते हैं और वहां कचरा बीनने के बाद आ लगाकर रफूचक्कर हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीयजन को ये भी चिंता सता रही है कि कहीं किसी दिन ये कचरे की आग बड़ा रूप न ले ले।

छुट्टी के दिन खुला हाईकोर्ट, मकान नहीं तोड़ने के दिये आदेश

जबलपुर। पटवारी तथा नगर निगम के अधिकारियों ने मकान तोड़ने की धमकी दी थी। जिसके खिलाफ पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए छुट्टी के दिन मामले की सुनवाई करने के निर्देश जारी किये थे। जस्टिस विनय जैन की एकलपीठ ने शनिवार को याचिका की सुनवाई करते हुए मकान नहीं तोड़ने के आदेश जारी किये हैं।

रीवा निवासी याचिकाकर्ता तेजबली सिंह तथा उसकी पत्नी अमरावती की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उन्होंने ग्राम चिरहुला तहसील-हुजूर में 696 वर्ग फुट का प्लॉट आवंटित किया गया था। हलका पटवारी तथा नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें मौखिक रूप से घर तोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि कहा है कि नगर निगम तथा स्थानीय बल का प्रयोग कर वह उसका मकान गिरा देंगे। सरकारी अधिवक्ता की तरफ से बताया गया कि रीवा कलेक्टर से उन्हें इस संबंध में किसी प्रकार के दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। याचिकाकर्ता ने नगर निगम की संभावित कार्यवाही के खिलाफ याचिका दायर की है। उसके आरोपी भी नगर निगम के खिलाफ है। याचिका में नगर निगम रीवा की तरफ से वह पैरवी नही कर रहें है। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के कब्जे वाले घर को नही तोडा जाये। एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये है। याचिका पर अगली सुनवाई हाईकोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की गयी है।